



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235531
CG-DL-E-04052022-235531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1961]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 1961]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

का.आ. 2061(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4690(अ) दिनांक 11.10.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में NH-148N के कि.मी. 114.64 से कि.मी. 154.56 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 4690(अ) दिनांक 11.10.2021 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18.11.2021 को नई दुनिया और फ्री प्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में NH-148N के कि.मी. 114.64 से कि.मी. 154.56 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।"

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: रतलाम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जावरा				
	गांव का नाम: खेडा खेडी				
1	92/259/1/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.012	नागुलाल पिता गंगाराम (92/259/1/1)
2	92/259/2/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.014	कचरुलाल पिता भेरुलाल (92/259/2/1)
3	92/259/2/2	निजी	कृषि/सिंचित	0.013	तुलसीराम पिता भेरुलाल (92/259/2/2)
	गांव का नाम: नीमन				
4	41	निजी	कृषि/सिंचित	0.15	कन्हैयालाल सीताराम केलाश जगदीश पिता किशन सुंदरबाई बैवा किशन (41)
	तालुक का नाम: पिपलोदा				
	गांव का नाम: बडायला चौरासी				
1	320/2	निजी	कृषि/सिंचित	0.18	सुभाष पिता मोतीलाल (320/2/3)

2	652/4	निजी	कृषि/सिंचित	0.052	मोहनबाई पिता सालगराम व गुलाबबाई बैवा सालगराम (652/4)
			कुल	0.421	

[फा. सं. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2022

S.O. 2061(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4690(E) dated 11.10.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-148N on the stretch of land from Km. 114.64 to Km. 154.56 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Jaora) in the district of Ratlam in the state of Madhya Pradesh

And whereas the substance of the said notification S.O. 4690 (E) dated 11.10.2021 has been published in Nayi Duniya and Free Press both dated 18.11.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-148N on the stretch of land from Km. 114.64 to Km. 154.56 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Jaora) in the district of Ratlam in the state of Madhya Pradesh

State: MADHYA PRADESH			District: RATLAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jaora				
	Village: Kheda Khedi				
1	92/259/1/1	Private	Agriculture/Irrigated	0.012	Nagu Lal S/O Ganga ram 92/259/1/1
2	92/259/2/1	Private	Agriculture/Irrigated	0.014	Kachru Lal S/O Bherulal 92/259/2/1
3	92/259/2/2	Private	Agriculture/Irrigated	0.013	Tulsi Ram S/o Bherulal 92/259/2/2

	Village: Niman				
4	41	Private	Agriculture/Irrigated	0.15	Kanhaiya lal, Sitaram, Kailash, Jagdish S/O Kishan Sundar bai Beva Kishan 41
	Taluk: Piploda				
	Village: Badayla chaurasi				
1	320/2	Private	Agriculture/Irrigated	0.18	Subhash S/O Motilal 320/2/3
2	652/4	Private	Agriculture/Irrigated	0.052	Mohan bai S/O Salag ram & Gulab bai beva Salag ram 652/4
			TOTAL	0.421	

[F. No. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director